12

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1172-दो/2007 - विरूद्ध आदेश दिनांक 30-3-2007 - पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 20/2006-07 निगरानी

केदार पुत्र प्रभूलाल मल्हा
ग्राम चकमलपुरा तहसील
विजयपुर जिला श्योपुर ---आवेदक

विरूद्ध

बद्रीप्रसाद पुत्र भैरवलाल ब्राहमण
ग्राम दादेर तहसील श्योपुर ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित -एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 1-8-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 20/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-3-2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ भूदान पटटाग्रहीता अनावेदक ने भूदान भूमि स्थित ग्राम खेरोदा खुर्द सर्वे कमांक 66/1 रकबा 3 वीघा तथा 67 रकबा 5 वीघा 2 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) को शासन हित में परित्याग वावत् तहसील न्यायालय में आवेदन दिया, जिस पर नायव तहसीलदार वृत्त वीरपुर ने प्रकरण कमांक 6/2004-05 अ-25 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दि0

9-6-2005 पारित करके भूमि शासन हित में समाहित की गई, किन्तु आदेश में केदार पुत्र प्रभूलाल जाति मलहा निवासी ग्राम सुखवास काविज होकर कई वर्ष से खेती करना अंकित किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने कलेक्टर जिला श्योपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की । कलेक्टर जिला श्योपुर ने प्रकरण कमांक 23/2005-06 निगरानी में सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 27-11-2006 पारित किया तथा नाग्रव तहसीलदार का आदेश दिनांक 9-6-2005 निरस्त कर दिया। कलेक्टर श्योपुर के इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 20/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-3-2007 से निगरानी निरस्त कर दी। अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमि अनावेदक को पटटे पर प्राप्त हुई थी जिसका अमल अभिलेख में है परन्तु पटटाग्रहीता नुमाइशी तौर पर अभिलेख में अंकित है क्योंकि आवेदक की काफी वर्षो से वादग्रस्त भूमि पर काविज होकर खेती करता आ रहा है। आवेदक को यह भूमि मिलना चाहिये। तहसील न्यायालय ने भी आवेदक का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर माना है क्योंकि अनावेदक ने धनराशि लेकर वादग्रस्त भूमि से पटवारी अभिलेख में अपना नाम कम कराया है किन्तु वाद में मन में बद्धान्ति आ जाने से भूमि समर्पन की गलत कार्यवाही की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जॉय।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि का भूदान पटटाग्रहीता अनावेदक है जिसने भूमि शासन हित में समर्पित की है। भूमि समर्पण के सम्बन्ध में नायव तहसीलदार वृत्त वीरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 6/2004-05 अ-25 में पारित आदेश दिनांक 9-6-2005 में यह उल्लेख किया है कि पटटाग्रहीता ने भूमि पर कभी खेती

नहीं की है अपितु भूमि पर केदार पुत्र प्रभूलाल जाति मलहा निवासी ग्राम सुखवास काविज होकर कई वर्ष से खेती कर रहा है जबकि मामला केवल पटटाग्रहीता की भूमि शासन हित में समर्पन का रहा है। वादग्रस्त भूमि के संव्यवहार के सम्बन्ध में तथा नियमों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर जिला श्योपुर ने आदेश दिनांक 27-11-2006 में चिरूतृत विवेचना कर निष्कर्ष दिये है जिन्हें अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना ने पारित आदेश दिनांक 30-3-2007 से पुष्टिकृत किया है। कलेक्टर जिला श्योपुर के आदेश दिनांक 27-11-2006 में तथा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के आदेश दिनांक 30-3-2007 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाता है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 20/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-3-2007 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर